आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–28.02.2022 को वाद सं0–06/2022 के मामले में सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष से श्री जीतन मराण्डी, गाण्डेय, गिरिडीह फोन कॉल के माध्यम से उपस्थित रहें। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गाण्डेय एवं श्रीमती उषा देवी आँगनबाड़ी सेविका उपस्थित रहीं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा द्वारा जाँच में वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 (अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक) का जाँच प्रतिवेदन आयोग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि पिछले 2 सालो से ग्रामीणों को सही तरीके से पोषाहार का वितरण नहीं किया गया है न ही आँगनबाड़ी केन्द्र को सही तरीके से खोला जाता है न ही सही समय से पोषाहार का वितरण किया जाता है। आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती उषा देवी के द्वारा बताया गया कि वे दूसरे गाँव से आती है। जिसके कारण वे ससमय आँगनबाड़ी केन्द्र को नहीं खोल पाई थी। आदेशित किया जाता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गाण्डेय अपनी उपस्थिति में उक्त ग्राम में एक ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर शिकायत के संबंध में लाभार्थी के परिवार से पूछताछ कर वस्तुस्थिति के बारे में आयोग को प्रतिवेदित करेंगी। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–23 मार्च 2022 को निर्धारित की जाती है। 28.2.22 (शबनम परवीन) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (डॉ0 रंजना कुमारी) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। सुनवाई की अगली तिथि 28/03/22. को होगी। Ranjana 14/03/2022	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 50